बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।
–: अधिसूचना :–

सं०सं०–14 / प्रो०–04–03 / 2024– 6321 /पटना–15, दिनांक– 02/11/26

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत् दिनांक–12.10.2026 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में सन्निहित अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग के निम्नलिखित सहायक अभियंता (यांत्रिक) (वेतन स्तर–9) को विहित वेतनमान सहित कार्यपालक अभिंयंता (यांत्रिक) (वेतन स्तर–11) के उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए उक्त पद का अस्थाई स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम आई०डी०सं० / गृह जिला	सहायक अभि० (यां०) का मूल कोटि का वर्ष 2023 का औपबंधिक वरीयता (विभागीय पत्रांक–4808 दिनांक– 05.09.23 के आलोक में)	कोटि	अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री मृत्युंजय कुमार झा / एम 0819 / अररिया	18	सामान्य	प्रभार ग्रहण की तिथि से
2	श्री शिवम द्विवेदी / एम 0820 / पटना	19	सामान्य	प्रभार ग्रहण की तिथि से
3	श्री मुकुल कुमार / एम 0821 / गया	20	सामान्य	प्रभार ग्रहण की तिथि से

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

3. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थान पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगें तथा अपना बायोडाटा निश्चित रूप से अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली–2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्रदत्त पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि / विसंगति पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदत्त उच्चतर प्रभार का आदेश रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत् विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880 / 2017, बिहार सरकारी बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. उपर्युक्त उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना सख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में दी गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन/स्पष्टीकरण के फलाफल से प्रभावित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

02/11/26

(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–14/प्रो०–04–03/2024– 6321 /पटना–15, दिनांक– 02.11.26

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)**/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक–3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/11/26

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–14/प्रो०–04–03/2024– 6321 /पटना–15, दिनांक– 02.11.26

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–जल संसाधन मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल–1 एवं उड़नदस्ता अंचल–2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम०आई०एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना **Common integrated website (www. state.bihar.gov.in)** पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी–14, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/11/26

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।